

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 40/2017/ गुण्डा एक्ट

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर।

सायल

बनाम

झाबर सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत, निवासी- चीपलाटा, थाना- थोई, जिला -सीकर

गैरसायल

उपस्थित:-

1. सायल की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।
2. गैरसायल स्वयं उपस्थित ।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/10 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

निर्णय

दिनांक : 06 फरवरी, 2018

1. पुलिस अधीक्षक सीकर ने गैरसायल झाबर सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत, निवासी- चीपलाटा, थाना- थोई, जिला-सीकर के विरुद्ध यह इस्तगासा इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 3/10 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत किया है।
2. पुलिस अधीक्षक सीकर ने प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है कि गैरसायल झाबर सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत, निवासी- चीपलाटा, थाना- थोई, जिला-सीकर का रहने वाला है। जो बचपन से ही गलत संगत में पड़कर अवैध शराब की तस्करी करने का आदतन अपराधी हो गया है। यह व्यक्ति जिला सीकर थोई क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी में लिप्त होकर अवैध शराब व स्पीट से बनी शराब स्वयं बेचता है और बिकवाता है। जिससे आम जनता व समाज पर बुरा असर पड़ रहा है तथा आम जन में भय व्याप्त है। इस व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कुल 04 अभियोग पंजीबद्ध होकर 04 अभियोगों में चालान न्यायालय में पेश किये गये। जिनमें गैरसायल को न्यायालयों द्वारा चारों ही अभियोगों में सजा हो चुकी है। इस प्रकार गैरसायल सीकर जिला के थोई क्षेत्र में शराब की तस्करी करने का आदतन अपराधी है। जिससे आम जनता गवाही देने से भी भयभीत है। अतः गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/10 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि





जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

इसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावे ताकि क्षेत्र में शराब की तस्करी पर अंकुश लगा सके एवं इलाका थाना क्षेत्र में शांति कायम रह सके।

3. इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन नोटिस जारी किया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ।
4. गैरसायल ने अभिकथन किया है कि वह अनपढ़ है, जिसको ज्ञान नहीं होने के कारण शराब ठेकेदारों द्वारा झूठा लालच देकर अवैध रूप से शराब ब्रिकी का कार्य करवाया गया है। अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/10 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम निरस्त फरमाया जावे।
5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक सीकर की रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि गैरसायल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कुल 04 अभियोग पंजीबद्ध होकर 04 अभियोगों में चालान न्यायालय में पेश किये गये। जिनमें गैरसायल को सजा हुई है। पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एफआईआर एवं न्यायालय के निर्णयों की प्रतियों से प्रमाणित है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 02(आ) में वर्णित दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त (प्रयास करता है करने के लिए प्रेरित भी करता है) है। इसलिए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 03/10 श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 03/10 के तहत सायल द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सायल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 03/10 के तहत स्वीकार किया जाता है। गैरसायल झाबर सिंह पुत्र प्रभु सिंह, जाति राजपूत, निवासी-चीपलाटा, थाना- थोई, जिला-सीकर को 01 माह के लिए जिला झुन्झुनूं में निष्काषित किया जाता है। गैरसायल को निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब अपनी उपस्थिति पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनूं को प्रस्तुत करें। इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनूं व पुलिस अधीक्षक सीकर/ झुन्झुनूं को प्रेषित की जावे।

6. निर्णय आज दिनांक: 06 फरवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

